


24.07.2023 - पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस
सुनी गई। बाध्य पर मनन करने एवं पत्रावली का
अवलोकन करने पर प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत
निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सौंपा किया गया।
पत्रावली बांड तत्काल तकमील टोकल राखिल इफ्तदा हो।
निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया
गया।


(अंशु मिश्रा)
R.A.S.